प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय

दिनांक–10.03.2023 (सं0–162)

तमिलनाडु राज्य में बिहार के निवासियों के साथ कतिपय हिंसात्मक घटनाओं से सम्बन्धित सोशल मीडिया पर प्रसारित असत्य, भ्रामक एवं उन्माद फैलाने वाले वीडियो एवं पोस्ट पर आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई अद्यतन

01. आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को तमिलनाडु राज्य में प्रवासी बिहार के निवासियों के सम्बन्ध में कतिपय हिंसात्मक घटनाओं के सम्बन्ध में काण्ड सं0–03/2023 विभिन्न धाराओं में दर्ज कर 10 सदस्यीय जाँच दल गठित किया गया था।
02. कुल 30 वीडियो एवं पोस्ट चिन्हित किये गये हैं तथा अनुसंधान किया जा रहा है।
03. काण्ड में 04 व्यक्तियों को नामजद किया गया था, जिनमें अमन कुमार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय अग्रसारित किया जा चुका है।
04. सत्यापन के क्रम में 26 अन्य ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब एकाउण्टस को भी चिन्हित किया गया है एवं 42 सोशल मीडिया एकाउण्ट्स के लिए प्रिजर्वेशन नोटिस जारी किया गया है।

अद्यतन

1. दिनांक–08.03.2023 को काण्ड के अभियुक्त मनीष कश्यप बी0एन0आर0 न्यूज हनी नामक यूट्यूब चैनल का एक वीडियो ट्वीट किया गया था, जिसमें पट्टी बाँधे 02 लोगों को दिखाया जा रहा है। उस ट्वीट में टैग वीडियो देखने से संदिग्ध लग रहा था। अतः उसकी जाँच की गई और वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति राकेश रंजन कुमार, पिता श्री शिवनाथ सिंह को गोपालगंज से पूछताछ हेतु लाया गया, जिसने दिनांक–06.03.2023 को अपलोडेड फर्जी वीडियो को 02 अन्य लोगों के सहयोग से बनाये जाने की बात स्वीकार की और बताया कि इस वीडियो को जक्कनपुर के बंगाली कॉलोनी स्थित एक किराये के मकान में शूट किया गया था, ताकि पुलिस द्वारा किये जा रहे अनुसंधान को गलत दिशा में मोड़ा जा सके। राकेश रंजन के मकान मालिक के द्वारा भी इस सम्बन्ध में पुष्टि की गई। इस सम्बन्ध में आर्थिक अपराध थाना काण्ड सं0–04/23 राकेश रंजन कुमार, मनीष कश्यप और उनके दो साथियों के विरुद्ध दर्ज किया गया है।
2. काण्ड सं0–03/23 के अभियुक्त मनीष कश्यप और युवराज सिंह राजपूत अब तक उपस्थित नहीं हुये हैं। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारण्ट प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध किया जा रहा है।
3. काण्ड के अभियुक्त मनीष कश्यप एक आदतन अपराधी हैं। इनके विरुद्ध पूर्व से 07 काण्ड अंकित है। उनके द्वारा पुलिस पर कई बार हमला भी किया जा चुका है। पुलवामा घटना के बाद पटना में ल्हासा मार्केट में कश्मीरी दुकानदारों को पीटने के आरोप में ये जेल भी जा चुके हैं। मनीष कश्यप पूर्व में साम्प्रदायिक पोस्ट करने और गतिविधियो में संलिप्त रहे हैं। काण्ड दर्ज होने के बाद वह फरार हैं।
4. एक अन्य अभियुक्त युवराज सिंह पिछले 03 महीनों से नारायणपुर (भोजपुर) के एक गोलीबारी के काण्ड में ये फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम बनाई गई है। युवराज सिंह राजपूत के विरुद्ध तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी फर्जी वीडियो पोस्ट करने का एक काण्ड दर्ज है।

5. इस सम्बन्ध में तमिलनाडु राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 13 काण्ड अंकित किये गये हैं। वहाँ की टीम बिहार आकर बिहार पुलिस से सम्पर्क कर अपना अनुसंधान कर रही है।

6. **<u>मधुबनी</u>**

समाचार पत्र में छपी खबर ''मधुबनी के युवक की तमिलनाडु में हत्या'' की पुलिस अधीक्षक, तिरुपुर तमिलनाडु के द्वारा खण्डन करते हुए इसे पारिवारिक कलह के कारण आत्महत्या बताया गया है। पुलिस अधीक्षक तिरुपुर के अनुसार मृतक शम्भू मुखिया थाना–देवधा, जिला–मधुबनी की पत्नी के आवेदन के आधार पर 05 दिन पहले मंगलम थाना (तमिलनाडु) में काण्ड अंकित कर कार्रवाई की जा रही है। मृतक पिछले 03 महीने से काम कर रहे थें। बहन की शादी रुक जाने के कारण मानसिक तनाव में थें। मृतक की पत्नी ने बताया कि दिनांक–05.03.2023 को उनके पति स्व0 शम्भू मुखिया घर पर हीं थें। उनके द्वारा अपने बाएँ हाथ की कलाई की नस को ब्लेड से काट लिये जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक मधुबनी के द्वारा अपने सोशल मीडिया एकाउण्ट्स पर एक वीडियो जारी कर इस सम्बन्ध में जानकारी दी गई।

xxxxxxxxx